न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13 / 2023

1 उमराव पुत्र किशनाराम
2 गजानन्द पुत्र ताराचन्द
3 दुल्लीचन्द पुत्र किशनाराम
4 निर्मला पत्नी किशनाराम
5 बुद्धराम पुत्र किशनाराम
6 रामनारायण पुत्र किशनाराम
7 रामप्रसाद पुत्र सुरजाराम
8 रामसिंह पुत्र किशनाराम
9 सुबिता पत्नी प्यारेलाल
10 सुभिता पुत्री किशनाराम
11 सुमन पुत्री किशनाराम
12 सिलोचना पुत्री किशनाराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण खेमू की ढाणी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

13 विश्वेश्वरलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी खेमू की ढाणी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 धर्मपाल पुत्र महावीर प्रसाद
2 दलिप सिंह पुत्र महावीर प्रसाद
3 विजयपाल पुत्र महावीर प्रसाद
4 सत्यपाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

समस्त जाति जाट निवासीगण खेमू की ढाणी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
5 ओमप्रकाश पुत्र भगवाना
6 राजेन्द्र पुत्र भगवाना
7 सत्यवीर पुत्र भगवाना
8 मदन पुत्र भगवाना
9 कौशल्या पुत्री भगवाना
10 सुमित्रा पुत्री भगवाना
11 गुरूदयाल पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
12 महावीर पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
13 रोहिताश पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
14 किरण पुत्री भाला उर्फ भागीरथ
15 मन्जु पुत्री भाला उर्फ भागीरथ
16 ईषु पुत्र श्रीराम पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
17 विकी पुत्र श्रीराम पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
18 रीनू पुत्री श्रीराम पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
19 सुनिता पुत्री श्रीराम पुत्र भाला उर्फ भागीरथ
20 भोलाराम पुत्र ताराचन्द
21 रामचन्द्र पुत्र सुरजाराम
22 श्रवणी पत्नी ताराचन्द
समस्त जाति मीणा निवासीगण खेमू की ढाणी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

प्रथम अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू बउनवानी धर्मपाल बनाम
उमराव वगै. प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 क राज.
काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 154/2020 निर्णय
दिनांक 05.07.2022

उपस्थिति :

1. श्री शिवहरिप्रसाद, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 154/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 23 के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष दिनांक 11.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया विचारण न्यायालय ने बिना आज्ञापक आदेशों की पालना कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.07.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

किया जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने धारा 251 ए आरटी एक्ट 1955 व राजस्थान काश्तकारी (गवर्मेन्ट) रूल्स 68 से 70 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने आवेदन मेमों एवं शपथ पत्र में यह रिलिफ नहीं चाही है कि कृषि काश्त करने के लिये जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पित साधन/रास्ते का अभाव है तथा रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। इससे स्पष्ट है कि रास्ता अपने घर (आबादी) हेतु चाहिये जिसमें उंटगाड़ी, मवेशी, ट्रेक्टर, जीप लाने ले जाने के लिये तथा स्वयं को सुविधाजनक रास्ते की मांग की है जो धारा 251 ए के तहत सुविधा के लिये नहीं दिया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं राजस्थान टिनेन्सी 1955 के नियम 639 की आज्ञापक प्रावधान है जिसमें जांच नहीं की है। नियम 68 के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी एवं या भूअभिलेख निरीक्षक के स्तर के अधिकारी से साईट इन्सपेक्शन करवायेगा और उसके बाद प्रभावित पक्षकारान से ऑब्जेक्शन इन्वाईट करेगा। विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरक्षक की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन इन्वाईट नहीं किये गये तथाकथित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। साईट इन्सपेक्शन करने से अपीलान्ट्स को सूचित नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट वैकल्पिक रास्ते बाबत स्पष्ट नहीं है प्रस्तावित रास्ता की मांग खेमू की ढाणी भू–अभिलेख निरक्षक क्षेत्र अरड़ावता में स्थित है तथा मौका रिपोर्ट ओजटू पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक चिड़ावा द्वारा तैयार की गई है जो क्षेत्राधिकार के बाहर है। भू–अभिलेख निरक्षक द्वारा उभयपक्षकारान को मौका रिपोर्ट बनाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। ना मौके पर गया। अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है जो एकपक्षीय रिपोर्ट है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनुं)

पालना नहीं की है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश के अवसर से वंचित रखा गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट संख्या 12, रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जो अपने अन्य वैकल्पित रास्ते से खेत खसरा नम्बर 586 मौजा ग्राम ओजटू में आते जाते है। जब खसरा नम्बर 586 के वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। तो धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत आवेदन नहीं लाया जा सकता ना ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता जो नजरी नक्शा पटवारी द्वारा दिनांक 05.05.2022 में खसरा नम्बर 586 तक अन्य खातेदार आते जाते रहे व है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ओजटू की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 3.42 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दलीप सिह पुत्र महावीर प्रसा हिस्सा 1/5 धर्मपाल पुत्र महावीर प्रसाद हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. किठाना रहण झुन्झुनू सहकारी बैक लि. शाखा चिड़ावा विजयपाल पुत्र महावीर प्रसाद हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. किठाना के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। सत्यपाल पत्र महावीर प्रसाद एवं विश्सेरलाल पुत्र महावीर प्रसाद अलग–अलग मकान बनाकर उक्त खसरा नम्बर में सपरिवार निवास करते है। धर्मपाल, दलिप सिंह, विजयपाल, ग्राम किठाना में रहते है। खसरा नम्बर 586 रकबा 3.42 हैक्टेयर में वर्तमान में आवागमन है। रास्ता ग्राम खेमू की ढाणी खसरा नम्बर 32 रका 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से प्रचलित रास्ता है जो चिड़ावा से सुलताना सड़क तक है। उक्त रास्ते में 2 गेट लगे हुये है। गेट लोहे का चिड़ावा से सुलताना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सड़क पर एवं दुसरा गेट ग्राम खेमू की ढाणी एवं ओजटू की राजस्व सीमा पर लगा हुआ है। यह रास्ता वर्तमान में मौके पर आने–जाने हेतु कार्य में आ रहा है। उक्त रास्ते की लम्बाई 110 मीटर एवं 4 मीटर चौड़ाई है। जिसका कुल क्षेत्रफल 440 वर्गमीटर बनता है। खसरा नम्बर 32 रकबा 0.53 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड ग्राम खेमू की ढाणी उमराव पुत्र किशनाराम मीणा सा. देह दर्ज रिकार्ड है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक अथवा लघुत्तम रास्ता होने का कोई साक्ष्य अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ओजटू की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 3.42 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दलीप सिह पुत्र महावीर प्रसा हिस्सा 1/5 धर्मपाल पुत्र महावीर प्रसाद हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. किठाना रहण झुन्झुनू सहकारी बैक लि. शाखा चिड़ावा विजयपाल पुत्र महावीर प्रसाद हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. किठाना के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। सत्यपाल पत्र महावीर प्रसाद एवं विश्सेरलाल पुत्र महावीर प्रसाद अलग–अलग मकान बनाकर उक्त खसरा नम्बर में सपरिवार निवास करते है। धर्मपाल, दलिप सिंह, विजयपाल, ग्राम किठाना में रहते है। खसरा नम्बर 586 रकबा 3.42 हैक्टेयर में वर्तमान में आवागमन है। रास्ता ग्राम खेमू की ढाणी खसरा नम्बर 32 रका 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से प्रचलित रास्ता है जो चिड़ावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

से सुलताना सड़क तक है। उक्त रास्ते में 2 गेट लगे हुये है। गेट लोहे का चिड़ावा से सुलताना सड़क पर एवं दुसरा गेट ग्राम खेमू की ढाणी एवं ओजटू की राजस्व सीमा पर लगा हुआ है। यह रास्ता वर्तमान में मौके पर आने–जाने हेतु कार्य में आ रहा है। उक्त रास्ते की लम्बाई 110 मीटर एवं 4 मीटर चौड़ाई है। जिसका कुल क्षेत्रफल 440 वर्गमीटर बनता है। खसरा नम्बर 32 रकबा 0.53 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड ग्राम खेमू की ढाणी उमराव पुत्र किशनाराम मीणा सा. देह दर्ज रिकार्ड है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक अथवा लघुत्तम रास्ता होने का कोई साक्ष्य अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)